# भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय
## शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

**Phone : 2661263,2737446 Fax: 2737446**
**Website:www.bsgmp.net E_mail:scoutguide_bpl@dataone.in**


---

### ए.एस.ओ.सी. की समीक्षा बैठक

### दिनांक 16.08.2010 से 18.08.2010 तक

### कार्यवाही विवरण

दिनांक 16.08.2010 से 18.08.2010 तक राज्य मुख्यालय भोपाल में संगठन अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें निम्नानुसार उपस्थिति रही–

| | | |
|---|---|---|
| 01. | डॉ. रमाशंकर तिवारी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी– | राज्य मुख्यालय भोपाल |
| 02. | डॉ. बलवान सिंह, परियोजना संचालक– | राज्य मुख्यालय भोपाल |
| 03. | श्रीमती चंद्रकांता उपााध्याय, राज्य संगठन आयुक्त (गा.) | राज्य मुख्यालय भोपाल |
| 04. | श्री डी. पी. मिश्रा, राज्य संगठन आयुक्त (स्का0)– | राज्य मुख्यालय भोपाल |
| 05. | श्रीमती संतोष सिंह, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गा0)– | राज्य मुख्यालय भोपाल |
| 06. | श्रीमती उषा यादव, ए.एस.ओ.सी. (गा0) | भोपाल |
| 07. | श्री बी.एल. शर्मा, ए.एस.ओ.सी. (स्का0 | सागर |
| 08. | श्री हरिदत्त शर्मा, ए.एस.ओ.सी. (स्का0) | जबलपुर |
| 09. | श्री मदनमोहन गुप्ता, ए.एस.ओ.सी. (स्का0) | ग्वालियर |
| 10. | श्री विक्रम सिंह चौहान, ए.एस.ओ.सी. (स्का0) | होशंगाबाद |
| 11. | श्री प्रमोद गंगराडे, ए.एस.ओ.सी. (स्का0) | उज्जैन |
| 12. | श्री एच.सिद्धिकी, ए.एस.ओ.सी. (स्का0) | इंदौर |
| 13. | श्री उमेश श्रीवास्तव, ए.एस.ओ.सी. (स्का0) | उज्जैन |
| 14. | श्री रामनरेश तिवारी, ए.एस.ओ.सी. (स्का0) | शहडोल |
| 15. | श्री सुखदेव सिंह चौहान, ए.एस.ओ.सी. (स्का0) | चम्बल |

प्रार्थना के साथ बैठक प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम ऐजेण्डा अनुसार जानकारी समस्त ए.एस.ओ.सी. से मांगी गई। 20 पेज का प्रारूप पर चर्चा की गई, एवं उनसे पूर्तियुक्त प्रपत्र मांगा गया। **जिस पर समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त का कहना हैं कि उन्हें 20 पृष्ठ वाला प्रारूप नही मिला हैं, और संभागों में ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल इंदौर को प्राप्त हुआ है।** वह भी अधूरा मिला है।

अतः किसी भी ए.एस.ओ.सी. द्वारा एजेण्डा अनुसार जानकारी उपलब्ध नहीं पाई गई।

**निर्देश–**

सभी ए.एस.ओ.सी. का कहना था, कि संशोधन कर प्रपत्र अभी दे दिया जायें और सी.डी. दे दी जाये एवं भविष्य में समीक्षा उक्त फॉरमेट में ही की जावें।

सभी ए.एस.ओ.सी से विचार–विमर्श कर 20 पृष्ठ की जानकारी वाले फॉरमेट को पुनः संशोधित कर हार्डकॉपी व सी.डी. प्रदाय की गई। साथ ही समस्त जानकारी उक्त प्रपत्रों पर 30 अगस्त 2010 तक राज्य मुख्यालय भेजने हेतु कहा गया। जिसमें सभी ए.एस.ओ.सी. ने सहमत व्यक्त की। अप्राप्त जानकारी का ब्यौरा निम्नानुसार हैं–

**(I) प्राप्त/अप्राप्त जानकारी :–**

बैठक के ऐजेण्डा के अनुसार समस्त ए.एस.ओ.सी. से निम्नानुसार जानकारी प्राप्त/अप्राप्त हुई –

**(1) भोपाल संभाग–**1. सी.डी. में जानकारी प्राप्त।
2. ऐजेण्डे के बिन्दु क्र. 2,3,9,10,14,15,18,19,20,21,22 की जानकारी अप्राप्त।

**(2) ग्वालियर संभाग–** 1. 20 पृष्ठ वाले फॉरमेट की जानकारी प्राप्त।
2. ऐजेण्डे के बिन्दु क्र. 1,2,3,14,18,19,20,21 की जानकारी अप्राप्त।

**(3) जबलपुर संभाग–** ऐजेण्डे के बिन्दु क्र. 5,6,8 की जानकारी प्राप्त। शेष बिन्दुओं की जानकारी अप्राप्त।

**(4) होशंगाबाद संभाग** – ऐजेण्डे के बिन्दु क्र. 1,2,6,8,15,19,20,22 की जानकारी प्राप्त। शेष बिन्दुओं की जानकारी अप्राप्त।

**(5) चम्बल संभाग–** ऐजेण्डे के बिन्दु क्र. 1,3,4,5,6,8,9,10,11,15,19,22 की जानकारी प्राप्त। शेष बिन्दुओं की जानकारी अप्राप्त।

**(6) सागर संभाग–** ऐजेण्डे के बिन्दु क्र 2,5,6,9,15,16,19 की जानकारी प्राप्त। शेष बिन्दुओं की जानकारी अप्राप्त।

**(7) शहडोल संभाग–** ऐजेण्डे के बिन्दु क्र 4,5,6 की जानकारी प्राप्त। शेष बिन्दुओं की जानकारी अप्राप्त।

**(8) उज्जैन संभाग–** ऐजेण्डे के बिन्दु क्र 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15 की जानकारी प्राप्त। शेष बिन्दुओं की जानकारी अप्राप्त।

**(9) इंदौर संभाग–** 20 पृष्ठ वाली जानकारी प्राप्त। शेष ऐजेण्डा जानकारी के बिन्दु क्र 1,2,3,4,7,10,11,12,15,18,19,20,21,22 की जानकारी अप्राप्त।

**(10) रीवा संभाग–** जानकारी अप्राप्त।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

**(II)** <u>**लक्ष्य पूर्ति प्रपत्र–**</u>

1. उज्जैन संभाग के जिला देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, के लक्ष्यपूर्ति प्रपत्र प्राप्त नही हुयें हैं।
2. होशंगाबाद संभाग के जिला हरदा, होशंगाबाद से लक्ष्यपूर्ति प्रपत्र प्राप्त नही हैं।
3. सागर संभाग के किसी भी जिले के लक्ष्य पूर्ति प्रपत्र प्राप्त नही हुये हैं।
4. रीवा संभाग के रीवा तथा सिंगरोली जिले के लक्ष्य पूर्ति प्रपत्र प्राप्त नही हुये हैं।

लक्ष्यपूर्ति प्रपत्र के अभाव में ग्रेडिंग में इनका मुल्यांकन नहीं हो पाया । कई बार फोन पर तथा पत्रों के मााध्यम से स्मरण पत्र दिये गये उसके बावजूद भी उक्त संभागों के जिलों की जानकारी आज दिनांक तक प्राप्त नही हुई।

<u>**निर्देश**</u> 1. ए.एस.ओ.सी. उज्जैन, होशंगाबाद संभाग में जानकारी दिनांक 30.08.2010 तक भेजने हेतु कहा हैं।

2. सागर संभाग ने बैठक में जानकारी दी हैं कि जिला छतरपुर को छोड़कर शेष जिलों के लक्ष्य पूर्ति प्रपत्र साथ लाये हैं। छतरपुर का शीघ्र प्राप्त कर भेज दूँगा।

3. रीवा संभाग से कोई भी उपस्थित नहीं था इस कारण रीवा संभाग की जानकारी की स्थिति स्पष्ट नही हो सकी। जानकारी शीघ्र भेजने हेतु निर्देश।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

**(III)** <u>**प्रवीण रोवर रेंजर नामों की सूची–**</u>

एस.ओ.सी. (स्काउट) ने कहा कि सभी संभागों से प्रवीण रोवर रेंजर के नामों की सूची चाही थी किन्तु **जबलपुर, सागर, इंदौर संभाग को छोड़कर शेष संभागों से सूची प्राप्त नहीं हुई हैं।** जिसके कारण निपूर्ण रोवर रेंजर का शिविर आयोजित नही हो सका।

भोपाल संभाग ए.एस.ओ.सी. (गाइड) का कहना हैं कि भोपाल संभाग में प्रवीण रोवर रेंजर नहीं हैं।

<u>**निर्देश–**</u> सभी ए.एस.ओ.सी. का कहना हैं कि इस वर्ष प्रवीण रोवर/रेंजर का शिविर आयोजित कर सूची भेज देंगें, साथ ही तृतीय चरण, स्वर्ण पंख की सूची भी भेंज देंगें। अतः सभी को समय सीमा में सूची भेजने के निर्देश दिये गयें।

प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता– एस.ओ.सी. (गाइड) ने वर्ष 2009–2010 में पंजीजीकृत प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता की लॉगबुक शीघ्र भेजने कहा साथ दलों के स्काउटर/गाइडर के भेजने संबंधी चर्चा कर समस्त ए.एस.ओ.सी. ने दिनांक 25.08.2010 तक लॉगबुक भिजवा देने की सहमति व्यक्त की।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

**(IV) प्रेजेन्टेशन (प्रस्तुतीकरण)–**

भोपाल संभाग ने सी.डी. पर प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया यह उनका प्रयास था प्रयास सराहनीय रहा। इसी प्रकार इंदौर, शहडोल, उज्जैन भी सी.डी. में प्रजेन्टेशन बनाकर लाये थें।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, डॉ. रमाशंकर तिवारी जी ने कहा कि अगली समीक्षा बैठक में सभी संभाग सी.डी. पावर पाइंट पर ही प्रजेन्टेशन देगें। सभी ए.एस.ओ.सी. ने स्वीकार किया।

**कार्यवाही– सकायक राज्य संगठन आयुक्त**

**(V) जिले के भ्रमण की रिपोर्ट –**

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी महोदय ने सभी ए.एस.ओ.सी. को अवगत् कराया कि जिलों में भ्रमण का प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम प्रत्येक माह भेजेगें और दौरा करने पर सभी दौरा प्रतिवेदन राज्य मुख्यालय को भेजेगें। भ्रमण के दौरान उस जिलें में जो कमियॉ पाई गई हैं, उन समस्याओं का समाधान भी शीघ्र करायेगे।

- प्रत्येक संभाग में राज्य मुख्यालय का एक अधिकारी प्रतिमाह 4 दिवस संभाग का भ्रमण करेगा।
- टूर प्रोग्राम में स्वीकृति जारी होगी और टूर डायरी में भ्रमण के दौरान क्या कार्य किया गया हैं, लिखा जायेगा, एवं गतिविधिवार विवरण रहेगा। टूर प्रोग्राम में महीनें में कहॉ–कहॉ जायेंगे क्या–क्या करेंगे आदि से संबंधित प्रस्ताव होगा।
- ऐक्शन प्लान में 4 महीने में किये जाने वाले कार्यो का विवरण होगा, जिसमें पूर्व में शेष लक्ष्य भी जोड़े जायेगे।
- भ्रमण प्रोग्राम मेल के द्वारा भेजेगें कि जिलों में कहां–कहां जाना संभावित हैं। और क्या–क्या किया जाएं।
- प्रतिमाह की कार्य योजना में किये जाने वाले कार्यो को प्रस्तावित किया जायेगा और हर माह में किये गए कार्य का विस्तृत प्रतिवेदन भेंजेगें।
- प्रतिवेदन के साथ प्रत्येक कार्यक्रम का विस्तृत विवरण संलग्न होगा उसके संबंध में कम–से–कम 4 या 5 पंक्तियों में संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन में रहेंगा। अगर उसके साथ कोई डॉक्यूमेन्ट हैं तो वह भी संलग्न रहेंगा।
- जहां भी विजिट के लिये जायेंगें उसका पूर्ण विवरण लगायें एवं निरीक्षण की फोटोप्रति भी साथ में लगायें।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

**(VI) पंजीयन–**

पंजीयन की जानकारी ए.एस.ओ.सी. ने दी है। ए.एस.ओ.सी. का कहना है, कि पंजीयन का लक्ष्य अधिक है, और जो पैसा आडिट के दौरान प्राप्त होता है उसे भी शामिल कर राशि कम करना चहियें।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी ने समस्त ए.एस.ओ.सी. को कहा कि वह पंजीयन शाखा से अपने संभाग के डाटा को लेकर समक्ष में चर्चा करेगें और वह चर्चा के बाद टारगेट के संबंध में जो भी स्थिति बनती है। वह उसको स्वयं सही करवायें अगर इसके बाद में कोई समस्या हो तो अवगत करावें।

पंजीयन राशि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप एवं समय सीमा में प्राप्त होना चाहियें।

- समस्त ए.एस.ओ.सी. वर्ष 2001 से 2008–2009 तक के पंजीयन की राशि भिजवाने की कार्यवाही समय सीमा में कर पंजीयन तत्काल भिजवायें।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

- सत्र 2008–2009 के पूर्व जिलों से ऑडिट की जो राशि आई हैं, उसे जिले के कुल बैलेन्स से उस राशि को घटाया जायें।

**कार्यवाही– पंजीयन शाखा, लेखा शाखा,/सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

**(VII) जनजागरण रैली प्रथम व द्वितीय चरण**

- बैठक में समस्त संगठन अधिकारियों ने निर्णय किया हैं कि 30 अगस्त 2010 तक शेष रही जनजागरण रैली का आयोजन कर रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को भेज देगे अगर सम्पन्न नही कर पाये तो लिखित में सूचित करते हुए राशि वापस राज्य मुख्यालय को भेजेगें।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

- जन जागरण रैली के विषय में चर्चा की जिसमें 2008–2009 में इन्दौर संभाग की रिपोर्ट आना बाकी हैं। जिसे 15 सितंबर तक पूर्ण कराकर राज्य मुख्यालय को 20 सितबंर तक भिजवायें।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त इंदौर**

- 2009–2010 गुना, शिवपुरी, अशोकनगर की रिपोर्ट प्रतिवेदन 10 सितंबर 2010 तक पूर्ण कर प्रेषित की जावेगी।

– भोपाल 30 अगस्त 2010 तक जन–जागरण रैली पूर्ण करके प्रतिवेदन भेज देगें।

– जबलपुर जन–जागरण रैली पूर्ण कराकर 31 अगस्त तक प्रतिवेदन में भेज दिया जावेगा।

– इन्दौर 30 अगस्त 2010 तक पूर्ण जावेगा

– उज्जैन शाजापुर का बाकी हैं रतलाम का प्रतिवेदन भेजे गये पूर्ति नही हैं। द्वितीय चरण की सभी जानकारी बाकी हैं।

–रतलाम का प्रतिवेदन भेजे गये पूर्ति नही है। द्वितीय चरण की सभी जानकारी बाकी हैं। 30 अगस्त 2010 तक रिपोर्ट आ जावेगी।

–सागर संभाग जन जागरण रैली करके 31 अगस्त 2010 तक रिपोर्ट भिजवा देगें। सभी संभाग ने 31 अगस्त 2010 तक जनजागरण रैली सम्पन्न कर प्रतिवेदन भेजने का आश्वासन दिया।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

**(VIII) प्रोजेक्ट के शिविर**

परियोजना संचालक महोदय ने निम्न बिंदुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिए :–

**(1) वर्ष 2008–2009 या 2009–10 की जिलेवार निम्नानुसार विद्यालयों की सूची सी.डी. में 10 सितबंर 2010 तक भेजें–**

(अ) वर्ष 2008–2009 में पंजीकृत कब एवं बुलबुल के दल– संबंधित शालाओं की सूची जिलावार , विकासखंड वार एवं शाला में कुल छात्र तथा दल में कब– बुलबुल संख्या।

(ब) माध्यमिक शालाओं के नाम जिनके स्काउट या गाइड दल पंजीकृत है। सूची जिलावार विकास खंडवार हो जिसमें छात्रों की संख्या की संख्या एवं दल में स्काउट/गाइड की संख्या।

(स) जिलें में जितने कब/ बुलबुल दल 2008–09 में थे उनका 10 प्रतिशत अतिरिक्त शालाओं की सूची। जिन शालाओं की दर्ज संख्या 100 से अधिक हो ताकि नए दल प्रारंभ हो सकें।

(द) जिले में जितने स्काउट/गाइड दल माध्यमिक शालाओं में पंजीकृत है। उसके 10 प्रतिशत अतिरिक्त माध्यमिक शालाओं की सूची। ताकि नए दल प्रारंभ हो सकें।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

**(2) अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, छात्रावास एवं अ**

**5ाश्रमों में कार्यक्रम–**

(i) प्रत्येक सहायक राज्य संगठन आयुक्त को संस्थाओं की सूची दी गई उन्हे निम्न प्रशिक्षण व जांच शिविर अक्टूबर तक आयोजित करना/कराना है।

(अ) कब/बुलबुल – द्वितीय चरण/रजत पंख/तृतीय चरण/स्वर्ण पंख /चतृर्थ चरण/हीरक पंख (प्रशिक्षण)।

(ब) स्काउट/गाइड– द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान जांच एवं राज्य पुरस्कार (प्रशिक्षण)।

(स) रोवर रेंजर– प्रवीण जांच शिविर निपुण (प्रशिक्षण शिविर)।

छात्र/छात्राओं की सूची सहित प्रस्ताव सभी सहायक राज्य संगठन आयुक्त दिनांक 15.09.2010 तक उपलब्ध करावेगे।

(ii) आवश्यक राशि के प्रस्ताव भी दिनांक 15.09.2010 तक उपलब्ध करावेगें।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

**(3) राज्य शिक्षा केन्द्र के कार्यक्रम–**

निम्न गतिविधयों के प्रस्ताव दिनांक 15.09.2010 तक उपलब्ध करावेगें–

1. प्रत्येक विकास खंडा में कब/बुलबुल हॉलीडे कैम्प
2. कब/बुलबुल– द्वितीय चरण/रजत पंख, तृतीय चरण/स्वर्ण पंख प्रशिक्षण व जांच शिविर
3. स्काउट/गाइड– माध्यमिक शाला के स्काउट/गाइड हेतु द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान प्रशिक्षण व जांच शिविर।
4. कब मास्टर व फ्लॉक लीडर बेसिक प्रशिक्षण
5. माध्यमिक शालाओं के स्काउट मास्टर/गाइड कैप्टन बेसिक प्रशिक्षण।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

**(4) आदिवासी जिलेः–**

1. आदिवासी विकास खंडों में एक हॉलीडे कैम्प आदिवासी विकास की राशि से एवं एक शिविर राज्य शिक्षा केंद्र की राशि से होगा।
2. आदिवासी विकास के जलों को प्राप्त राशि से हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी के स्काउट/गाइड का द्वितीय सोपान व तृतीय सोपान जांच शिविर आयोजित होगा।
3. माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी में पेट्रोल लीडर प्रशिक्षण आदिवासी विकास की राशि से आयोजित होगा।
4. हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी के स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन का प्रशिक्षण आदिवासी विकास की राशि से होगा।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

**(5) यूनिसेफ के कार्यक्रम**

1. झाबुआ, धार, देवास, मुरैना, छतरपुर, सतना, शहडोल, डिंडोरी, मण्डला, भोपाल, गुना एवं शिवपुरी में जीवन शिक्षा से जीवन रक्षा कार्यक्रम का कियान्वयन व अनुश्रवण करना।
2. विश्व हाथ धुलाई दिवस में संभाग व उक्त जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाना हैं उक्त ज़िलों के अतिरिक्त कटनी एवं बुरहानपुर में भी विश्व हाथ धुलाई दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होगा उसकी व्यवस्था एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाए।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

**(IX) <u>ग्रेडिंग–</u>**

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई की ग्रेडिंग करते समय जो ए.एस.ओ.सी. एवं डी.ओ.सी. के द्वारा केम्पो में कार्य किये जायेंगे उसका भी ग्रडिंग में उल्लेख किया जावेंगा, । इसके अतिरिक्त भी यदि उनके द्वारा कोई अन्य कार्य किया जाता हैं, तो उसका भी उल्लेख किया जावें।

- अन्य कार्य शिविर एवं विशेष कार्य :– सामुदायिक सेवा, जन–भागीदारी के कार्य होने पर विशेष बोनस के रूप में अंक दिये जायेंगे तथा चाही गई जानकारी 30.08.2010 तक अनिवार्य रूप से भिजवायें।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

- प्रति तीन माह के किये गये कार्यो की ग्रेडिंग तैयार कर श्री संभागों व जिलों को भेजी जाएगी।

**कार्यवाही– राज्य मुख्यालय**

- **(X)** <u>भण्डार–</u>

भण्डार प्रबन्धक ने जिन संभागों से राशि लेना शेष हैं उसकी जानकारी दी गई।

ए.एस.ओ.सी. ग्वालियर का कहना है, कि वर्षो से चली आ रही शेष राशि का समाधान होना चाहियें। समायोजन हेतु इसके किये सुझाव हैं कि एक–एक संभाग को राज्य मुख्यालयमें बुलाकर समायोजन हो जाना चाहियें।

एस.ओ.सी. (गाइड) राज्य मुख्यालय ने समस्त संगठन अधिकारियों को जानकारी दी कि संभाग के कौन–कौन से जिलों में शॉप संचालित हैं और कहां–कहां संचालित होना हैं।

भण्डार के लिये वही व्यक्ति जिम्मेदार होगा जो स्काउट/गाइड का कर्मचारी हैं।भण्डार की सामग्री हर हालत में स्काउट/गाइड शॉप से ही क्रय की जाये इसके अलावा अन्य कही से क्रय नही की जायेंगी तथा इसके लिये डी.ओ. के माध्यम से ड्राफ्ट भेजे। राज्य मुख्यालय द्वारा भेजी गई सामग्री जिला/संभाग से प्राप्त करें। इस प्रकार के परिपत्र जारी करवायें।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

**(XI)** <u>स्टीकर–</u>

स्टीकर की शेष राशि संभागों से भिजवाने हेतु भण्डार प्रबन्धक श्री सुरेश गोस्वामी ने जानकारी दी। सभी ए. एस.ओ.सी. ने कहा कि अब जो स्टीकर भेजे जाऐं वह हमारी मांग अनुरूप ही भेजे जावें।

<u>निर्देश–</u>

सभी ए.एस.ओ.सी. निम्नानुसार स्वीकार की मांग रखी–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | इन्दौर संभाग | ------ 4000 | स्टीकर |
| 2. | भोपाल संभाग | ------ 5000 | स्टीकर |
| 3. | ग्वालियर संभाग | ------ 3000 | स्टीकर |
| 4. | होशंगाबाद संभाग | ------ 1500 | स्टीकर |
| 5. | जबलपुर संभाग | ------ 7000 | स्टीकर |
| 6. | सागर संभाग | ------ 5000 | स्टीकर |
| 7. | रीवा संभाग | ------ 2000 | स्टीकर |
| 8. | मुरैना संभाग | ------ 2500 | स्टीकर |
| 9. | उज्जैन संभाग | ------ 2500 | स्टीकर |

**(XII)** <u>राज्य स्तरीय गतिविधि–</u>

माह अप्रैल से जुलाई 10 तक राज्य स्तर पर जो स्काउटर–गाइडर के कार्यक्रम हुये उसमें संभाग के जिलों की क्या प्रतिभागिता रही उसकी जानकारी एस.ओ.सी. (गाइड) द्वारा दी गई।

**(1) स्काउट/गाइड जम्बोरेट जबलपुर–** भोपाल संभाग के सिहोर जिले से गाइड की संख्या निरंक रही, राजगढ़जिलें से स्काउट/गाइड की प्रतिभागिता की स्थिति अच्छी नही रही। संभाग से 5 गाइड उपस्थित रहें।

**ग्वालियर संभाग** से जिला ग्वालियर से स्काउट निरंक, शिवपुरी, अशोक नगर से गाइड की प्रतिभागिता निरंक, गुना से स्काउट/गाइड की प्रतिभागिता निरंक।

**होशंगाबाद संभाग–** बैतूल जिला स्काउट निरंक, हरदा स्काउट/गाइड निरंक।

**इंदौर संभाग–** खरगोन, खण्डवा से स्काउट/गाइड की प्रतिभागिता निरंक।

**जबलपुर संभाग–** सिवनी जिले गाइड, मण्डला से स्काउट की प्रतिभागिता निरंक।

**रीवा संभाग–** सीधी, सिंगरोली से स्काउट/गाइड की प्रतिभागिता निरंक रही।

**सागर संभाग–** दमोह, पन्ना से गाइड तथा टीकमगढ़ से स्काउट की प्रतिभागिता निरंक रही।

**उज्जैन संभाग–** शाजापुर, देवास, रतलाम, मन्दसौर, नीमच से गाइड की प्रतिभागिता निरंक मन्दसौर, नीमच से स्काउट की प्रतिभागिता भी निरंक रही।

(2) <u>राज्य पुरस्कार   स्काउट/गाइड जांच शिविर–</u>

स्काउट/गाइड राज्य  पुरस्कार के तीन शिविर आयोजित हुऐं जिसमें संभागों की प्रतिभागिता निम्नानुसार  रही–

**i-  इन्दौर संभाग–**

इन्दौर जिला– 48 स्का0 + 22 गा0

धार– 28 स्का0 +10 गा0

खरगोन खण्डवा झाबुआ बुरहानपुर अलीराजपुर बड़वान– निरंक

**ii- भोपाल**

भोपाल जिला– 16 स्का0 + 03 गा0

सिहोर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन – निरंक

**iii- उज्जैन संभाग–**

जिला उज्जैन स्का0–01 + 04 गा0

देवास, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम, नीमच–निरंक

**iv- ग्वालियर संभाग–**

दतिया– 15 स्का0+ 0 गा0

ग्वालियर– 01 स्काउट + 04 गाइड

शिवपुरी– 03 स्काउट + 0गाइड

अशोक नगर, गुना– निरंक

**v- चम्बल संभाग–**

मुरैना –04 स्काउट + गाइड निरंक
भिण्ड, श्योपुर – निरंक

**vi- रीवा संभाग–**

रीवा – 7 स्काउट+7 गाइड
सतना– 34 स्काउट + 31 गाइड

सीधी, सिंगरोली – निरंक

**vii- जबलपुर संभाग –**

1. जबलपुर– स्काउट निरंक + 03 गाइड
मण्डला, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसंहपुर, कटनी– निरंक
होशंगाबाद, शहडोल, सागर संभाग से स्कउट/गाइड की प्रतिभागिता निरंक रही।

(3) <u>राष्ट्रपति स्काउट/गाइड प्रशिक्षण शिविर–</u>

जिला जबलपुर, बालाघाट, कटनी, इंदौर, धार, खरगोन, ग्वालियर, दतिया, भोपाल, विदिशा, सिहोर, सागर, अनूपनुर, सतना जिलें की प्रतिभागिता रही। शेष जिलों की प्रतिभागिता  निरंक रही हैं।

एस.ओ.सी. (गाइड)  ने कहा कि यह प्रतिभागिता संतोषजनक  नहीं हैं। वार्षिक योजना के अनुरूप नही है। अगर संगठन अधिकारी वार्षिक योजना में निर्धारित लक्ष्य को  ध्यान में रखकर कार्य करेंगें तो लक्ष्य की पूर्ति होगी।

एस.ओ.सी.  (गाइड) ने निवेदन किया ाकि आगामी माह में जो राज्य स्तर, पर, जिला स्तर पर, वार्षिक कार्य स्काउटर कार्यक्रम आयोजित होगें उन शिविरों के लिये अभी से प्रतिभागिता सुनिश्चित कर अवश्य लख्य तक पहुंचें।

सभी स्तर की गतिविधि में प्रत्येक  जिले की  प्रतिभागिता होना चाहियें।

<u>निर्देश–</u>

सभी ए.एस.ओ.सी. ने निर्णय लिया कि आगामी सभी कार्यक्रम में  प्रतिभागिता वार्षिक योजना को ध्यान में रखते हुऐ प्रत्येक जिले की होगी। सभी ए.एस.ओ.सी. दिनांक 30.08.2010 तक राज्य पुरस्कार के अक्टूबर 10 आयोजित जांच शिविर हेतु प्रतिभागि की सूची भेजेंगें।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

**(XIII)** <u>वयस्क प्रशिक्षण–</u>

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी महोदय ने कहा कि जिलों में जितने दल पंजीकृत हैं, उतने शिक्षक प्रशिक्षित नही है। प्रत्येक दल के स्काउटर/गाइडर का प्रशिक्षित होना जरूरी है। इसके लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करें एवं उसकी एक सूची राज्य मुख्यालय को भेंजें।

राज्य स्तर पर आयोजित वयस्क प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। प्रतिभागिता कम नही होना चाहियें। परिपत्र समय सीमा में जारी होना चाहियें। इसका विशेष ध्यान रखें।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

**(XIV)** **जी.आई.कोर्स–**

एस.ओ.सी. (स्काउट) ने कहा कि जी.आई. कोर्स संभाग/जिला ब्लॉक में आयोजित हुए हैं, उसका पैसा भेजना आवश्यक हैं राज्य मुख्यालय जी.आई कोर्स प्रमाणपत्र देगा। प्रतिवदेन एवं शुल्क भेजने पर पिछले साल जी.आई कोर्स के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए केवल राशि प्राप्त हुई हैं 30 अगस्त 2010 तक जी.आई कोर्स हो जावें। 15.09.2010 तक जी.आई. कोर्स की रिपोर्ट सूची प्रतिवेदन राशि के साथ संभाग के माध्यम से भेजे। प्रमाण –पत्र 30 सितम्बर 2010 तक राज्य मुख्यालय द्वारा भेजा जायेगा।

पेट्रोल लीडर प्रशिक्षण शिविर या जो भी बच्चें के कैम्प होगें उसका 25/– प्रतिव्यक्ति राज्य मुख्यालय को भेजा जावेगा।

**कार्यवाही– सहायक राज्य संगठन आयुक्त**

**राज्य स्तरीय, राज्य पुरस्कार स्काउट/गाइड जांच शिविर हेतु,**

संभावित सूची व संख्या, अदिवासी विकास, अनुसूचित जाति, स्कूल शिक्षा की दिनांक 31.08. 2010 तक अनिवार्य रूप से राज्य मुख्यालय को भेजेगें।

**विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी द्वारा निम्नानुसार निर्देश दियें गयें–**

- सितंबर माह के प्रथम सप्ताह से चाहे गये फॉरमेट आदि जो भी जानकारी होगी, वह ई–मेल पे भेजें। राज्य मुख्यालय के पत्र व निर्देश स्काउट–गाइड की वेव–साइड पर उपलब्ध होंगें तथा आपकी भी यह जिम्मेदारी होगी प्रतिदिन वेबसाइड चेक कर प्राप्त करें।
- मोबाइल की सिम सभी ए.एस.ओ.सी. एवं डी.ओ.सी. को उपलब्ध कराई गई हैं, अतः मोबाइल बंद नहीं करें। एवं मोबाइल पर नियमित सम्पर्क बनाये रखें।
- मेल के माध्यम से पत्र–व्यवहार किया जायेगा। ए.एस.ओ.सी जो भी काम करेंगे उसकी जानकारी राज्य सचिव को देगें अगर किसी वजह से जानकारी उन्हे नही दे पाते हैं तो अन्य किसी अधिकारी से सम्पर्क करें, एवं ए.एस.ओ.सी. एवं डी.ओ.सी को मैसेज दिया जायेगा। मोबाइल पर दिये गये मैसेज भी आदेश होगे।
- सभी ए.एस.ओ.सी. जाने से पहले जो आपकी पंजीयन का लक्ष्य दिया गया हैं और जो दल का लक्ष्य दिया गया हैं। एस.ओ.सी. (एस.) श्री डी.पी. मिश्रा जी के साथ बैठकर यह तय करेंगें कि पंजीयन का टारगेट सही हैं या नहीं एवं तय करेगें कि इतनी हमारी शालाऐं हैं, इतने बच्चें हैं। अगर किसी प्रकार की कोई भ्रांति हैं तो यहा के अधिकारियों से सम्पर्क करें। एवं निर्धारित लक्ष्य के आधार पर पंजीयन राशि भेजे।
- हमारे राज्य मुख्यालय से जो फॉरमेट भेजा गया हैं इन फॉरमेट में 20 प्रपत्र हैं जिसको हमने राज्य सचिव से और प्रोफेसनल अधिकारी से पूछकर तैयार किया हैं। समीक्षा इन बिन्दुओं पर ही होगी। अतः प्रत्येक स्तर से जानकारी निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त की जावें।
- जो भी डी.ओ.सी. 7 दिन या उससे अधिक छुट्टी पर रहता हैं तो दूसरा डी.ओ.सी. प्रभार में रहेगा उसी प्रकार ए.एस.ओ.सी. के अवकाश काल में दूसरा ए.एस.ओ.सी. प्रभार में रहेगा। इस संबंध में राज्य सचिव आदेश जारी करें।
- जिन जिलों में डी.ओ.सी. नहीं हैं वहां एक सेवा निवृत्त ए.एल.टी. को नियुक्त करें, कि किसे डी.ओ.सी. बनाया जायें एवं उसकी राशि जिला संघ से देय होगी ।
- जिला स्तर में डी.ओ.सी. के अतिरिक्त एक व्यक्ति को सुनिश्चित किया जायें और उसका नाम राज्य मुख्यालय को भेज दिया जायेंगा। चिन्हित कर राज्य मुख्यालय को नाम भेजा जावें जो भण्डार का संचालन करेगा।

- दल गोद लेना कम–से–कम 6 दल ए.एस.ओ.सी. गोद लें और प्रत्येक ब्लॉक में कम–से–कम 2 दल गोद लें। उक्त दलो की नियमित मॉनिटरिंग करें।
- विजिट (दौरा) जिन संभागों में 3 या 4 जिलें हैं वही महीने में दो या तीन बार दौरे पर जायेंगें एवं जहां 4 से अधिक जिलें हैं वहां महीन में एक बार दौरे पर जायेंगें। और भ्रमण पश्चात जिले में सुधार भी परिलक्षित होना चाहियें।

  संभाग स्तर/जिला स्तर पर वेतन की व्यवस्था करना। पंजीयन के माध्यम से की जानी चाहियें। जिससे हमारा वेतन व हमारे कर्मचारी जो अधीनस्थ हैं उनको वेतन दिया जा सकें।
- ए.एस.ओ.सी. और डी.ओ.सी. जो प्रोफेशनल्स हैं वह यह सुनिश्चित करें कि संभाग स्तर/जिला स्तर पर जो अंशदान प्राप्त हुआ ताकि लम्बित राशि प्राप्त हो सके और यह कार्यवाही की रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक अवगत् करायें।
- फोन का उपयोग करने पर निर्धारित राशि 500/– रू. तक रहेगी।
- मोबाईल सिम उपलब्ध कराई गई है, उसे तत्काल प्रभाव से एक्टीवेट करें, एवं उसी से सभी अधिकारियों से सम्पर्क करें।
- जो कम्प्यूटर खराब हैं, उसमें यदि 5000/– रू. के अंदर सुधार होना हैं, तो वह सुधार करवा लें। अगर इससे अधिक का व्यय संभावित है, तो आज ही कार्यालय में अनुमति हेतु आवेदन दें। अतः कम्प्यूटर ठीक रखे जावें।
- ए.एस.ओ.सी. जब विजिट पर जावें तो उसकी जानकारी राज्य मुख्यालय को दें, एवं जिला शाखा के खाते भारतीय स्टेट बैंक में करने की प्रक्रिया की जानकारी दें साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि संयुक्त खाता खोला जाये जो जिला शिक्षा अधिकारी एवं एक अन्य अधिकारी या पदाधिकारी जो निम्न अनुसार हो के संयुक्त नाम से हों। ए.एस.ओ.सी. भोपाल राजगढ़ द्वारा सुधार के लिये जो भी प्रस्ताव देगें हम उसमें अपना सहयोग देगें तथा यह उनकी जिम्मेदारी होगी की 6 महीने के अन्दर उसमें सुधार करें।
- ए.एस.ओ.सी. सागर महीने में दो बार टीकमगढ़ दौरे पर जायेगें ।प्रतिमाह विजिट के दौरान क्या–क्या नयें कार्य कियें इससे भी अवगत करवायेगें। राज्य मुख्यालय द्वारा प्रमाण–पत्र भेजा जावेगा।
- ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. संभाग व जिला स्तर पर जो पंजीयन मिलता हैं, उसकी पूर्ति करावे इस कार्यवाही की पूर्ति कर अक्टूबर तक भेजें।
- बैठक में आने से पहले 8 दिवस पूर्व जानकारी राज्य मुख्यालय भोपाल को भेजें।
- समस्त समाचार ईमेल के माध्यम से किया जावें।
- समस्त बैठक कार्यवाही विवरण पर पालन प्रतिवेदन समय सीमा में भेजें।

(हस्ताक्षर) 4/9

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश
भोपाल

पृ०क्र०/ 3278 /समीक्षा बैठक/10
भोपाल, दिनांक 4/9/010

प्रतिलिपि :– सुचनार्थ

01. माननीय राज्य मुख्य आयुक्त, राज्य मुख्यालय, भोपाल.
02. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, राज्य मुख्यालय, भोपाल.
03. राज्य संगठन आयुक्त, स्काउट एवं गाइड राज्य मुख्यालय, भोपाल.
04. परियोजना संचालक, राज्य मुख्यालय, भोपाल.
05. समस्त शाखा प्रभारी, राज्य मुख्यालय, भोपाल.
06. राज्य प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट एवं गाइड, राज्य मुख्यालय, भोपाल.
07. समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट एवं गाइड की ओर भेजकर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता हैं, कि बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजें।

C:\steno\steno3\min.doc.

(हस्ताक्षर) 4/9

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म. प्र.
राज्य मुख्यालय, भोपाल